जितेंद्र राम @ जीतू

बनाम

झारखंड राज्य

25 अप्रैल, 2006 बी

[एस.बी. सिन्हा और पी.के. बालासुब्रमण्यन. जे.जे.]

बिहार बाल अधिनियम, 1982

धारा 32 (1) अभियुक्त की आयु के बारे में पूछताछ - धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई याचिका - उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई कि अपराध किए जाने के समय अभियुक्त नाबालिग था, क्योंकि निचली अदालतके समक्ष ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी, यह अभियुक्त की उम्र के सवाल पर नहीं गया था। अभिलेख में किसी सामग्री के अभाव में। सुप्रीम कोर्ट अपराध करने की तारीख पर डी अभियुक्त की उम्र का निर्धारण नहीं कर सकता है- अपराध के कमीशन की तारीख को आरोपी की उम्र निर्धारित करने के लिए निचली अदालतको भेजा गया मामला • -यदि वह बालक और/या किशोर पाया जाता है तो विचारण न्यायालय उसके साथ तदनुसार निपटेगा अन्यथा विचारार्थ भारतीय दंड संहिता, 1860- उप धार 302 और 201--किशोर न्याय अधिनियम, 1986-धारा 2

अपीलकर्ता को धारा 302 और 201 आई.पी.सी के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी।

वर्तमान अपील में, अभियुक्त की ओर से उठाया गया एकमात्र विवाद यह था कि अपराध के समय, वह बिहार बाल अधिनियम, 1982 के एफ अर्थ के भीतर नाबालिग था और किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के एस 2 (एच) के अर्थ के भीतर एक किशोर था और

इसलिए, तदनुसार संरक्षण का हकदार था। मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई निवेदन नहीं किया गया।

अपील की अनुमति देना और मामले को निचली अदालत में भेजना

आयोजित: 1.1 निचली अदालत के समक्ष अपीलकर्ता ने ऐसी कोई दलील नहीं दी कि वह नाबालिग है। यह सच है कि पहली बार जमानत के लिए आवेदन करते समय इस तरह की याचिका उठाई गई थी; लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के एक बच्चे होने का आधार केवल एक ही नहीं था जिस पर 286 को जमानत देने का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा कोई दलील नहीं दिए जाने के अभाव में, यह विवादित नहीं है कि अदालत ने किसी भी स्तर पर अपीलकर्ता की उम्र के संबंध में सवाल पर विचार नहीं किया था। [290-ए-बी; ई]

1.2. यद्यपि बिहार बाल अधिनियम, 1982 की धारा 32 में सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह उस व्यक्ति की आयु की जांच करे जो बालक प्रतीत होता है, संभवत ऐसी कोई जांच नहीं की गई क्योंकि कोई ख ऐसी दलील नहीं दी गई थी। उस समय, अदालत में यह भी नहीं हुआ होगा कि आरोपी एक बच्चा था। तथापि, लाभकारी विधान के उपबंधों को सामान्यत प्रभावी किया जाना चाहिए। लेकिन, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में, यह न्यायालय एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अपराध के कमीशन की तारीख के अनुसार अपीलकर्ता बिहार अधिनियम 1291-ए के अर्थ के भीतर एक बच्चा था; सी-डीआई

भोला भगत बनाम बिहार राज्य, **[1997] 8 एससीसी 720 पर भरोसा किया।**

जकारियस लकड़ा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, **[2005] 3 एससीसी 161**; *रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा*, **(2002) 4 एससीसी 388**; रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम राज्य, **[200]15 एससीसी 714**; *कृष्ण भगवान बनाम बिहार राज्य*, **(1989) पीएलजेआर 507**; *गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, **[1984] पूरक एससीसी 228** और *राज सिंह बनाम हरियाणा राज्य*, **[2000] 6 एससीसी 759**, **संदर्भित**।

1.3. अपराध के कमीशन की तारीख के अनुसार अपीलकर्ता की उम्र का निर्धारण सत्र न्यायाधीश द्वारा नए सिरे से किया जाना चाहिए; और यदि वह अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के अर्थ के भीतर एक बच्चा और/या किशोर पाया जाता है, तो निचली अदालत उसके अनुसार व्यवहार करेगा। अन्यथा वर्तमान दोषसिद्धि बनी रहेगी, क्योंकि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों में कोई दुर्बलता नहीं पाई गई है।

[291-सी; 294-सी-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की आपराधिक अपील संख्या 489

झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 20.6.2003 के अंतिम निर्णय और आदेश से आपराधिक आवेदन संख्या 55/2003

शेखर प्रीत झा, ए.सी. अपीलकर्ता के लिए

भारती त्यागी और विश्वजीत सिंह प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय **एस.बी. सिन्हा, जे**, द्वारा, अनुमति दी गई।

अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 20I (संक्षेप में, आईपीसी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अभियोजन पक्ष का मामला निम्नानुसार है:

सूचना देने वाले लाल हरे मुरारी नाथ सहदेव द्वारा लगभग 1400 बजे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दिनांक 19.11.1985 को यह आरोप लगाते हुए कि पिछले दिन अर्थात 18.11.1985 को सुबह लगभग 07.30 बजे मृतक फगुआ महतो अपने पांच बैलों को अन्य ग्रामीणों के मवेशियों के साथ चराने के लिए ले गया, क्योंकि वह एक चरवाहा था। वह चराने के बाद बैलों को पहले ही ले आया था। बताया जाता है कि मुखबिर को उक्त शाम को उसके दो बैल नहीं मिले। उसने इसके बारे में पूछताछ की; जिस पर फगुआ महतो ने उन्हें सूचित किया कि धान की पिटाई के लिए अपीलकर्ता जितेंद्र राम @ जीतू हरिजान द्वारा दो बैलों को ले जाया गया था। वह आरोपी के घर गया, जिसने उक्त दो बैलों को ले

जाने से इनकार कर दिया। लखन लोहार (अभियोजन पक्ष का गवाह -13), हालांकि, उसी शाम लगभग 07.30 बजे लाल रणविजय नाथ सहदेव (अभियोजन पक्ष का गवाह-8), पहले मुखबिर के चचेरे भाई को सूचित किया कि अपीलकर्ता ने उक्त बैलों को बाजार में सहबान अंसारी और हनीफ अंसारी को बेच दिया, जिन्होंने खुद को क्रमश;अभियोजन पक्ष का गवाह-18 और अभियोजन पक्ष का गवाह19 के रूप में जांचा। हालांकि, अपीलकर्ता ने उक्त व्यक्तियों को दो बैलों की बिक्री से इनकार कर दिया और पहले मुखबिर को धमकी दी। फगुआ महतो लापता हो गया। जब पहला मुखबिर हनीफ अंसारी और सहबान अंसारी के घर गया, तो उसे सूचित किया गया कि अपीलकर्ता उक्त दो बैलों को ले गया था और सुरक्षा के रूप में अपनी साइकिल रखी थी। इस संदेह पर कि फगुआ महतो के साथ कुछ हो सकता है, एक खोज की गई और अपीलकर्ता को गांव के स्कूल में लाया गया। उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद कहा जाता है कि उसने फगुआ महतो की हत्या करने की बात कबूल की और उसके शव को 'चामौथा नदी तेतरदहत' के एक गड्ढे में छिपा दिया। अपीलकर्ता के उक्त बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए कहा जाता है कि लगभग 100 ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए हैं जहां उक्त फगुआ महतो के शव को अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से छुपाया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता को मुखिया लाल गोपाल नाथ सहदेव को सौंप दिया गया, जिन्होंने खुद को अभियोजन पक्ष का गवाह -5 के रूप में जांचा। उक्त गवाह से पहले भी अपीलकर्ता ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। तत्पश्चात्, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुकदमे में वह अंततः दोषी पाया गया।

उनके द्वारा पसंद की गई अपील को भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, वह हमारे सामने है।

श्री शेखर प्रीत झा, विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि उक्त अपराध के कमीशन की तारीख को अपीलकर्ता बिहार बाल अधिनियम,1982 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक नाबालिग था। विद्वान वकील यह तर्क देगा कि अपीलकर्ता ने पहले अवसर पर अपनी उम्र का खुलासा किया था, अर्थात्, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। *अन्य बातों के साथ-साथ*, उक्त बयान के आधार पर दिनांक 09.05.1986 के आदेश पर जमानत पर रिहा किया गया था। यह आगे

प्रस्तुत किया गया था कि भले ही अपीलकर्ता की जांच विद्वान निचली अदालत के न्यायधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 13 के तहत की गई थी, लेकिन उसकी उम्र 28 वर्ष आंकी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में इस आशय की प्रस्तुतियों पर भी ध्यान दिया कि 17.12.1998 की निचली अदालत द्वारा 28 वर्ष की आयु के उक्त अनुमान को ध्यान में रखा गया है जबकि अपीलकर्ता को धारा 313 सीआरपीसी के तहत निष्कासन किया जा रहा था, वह अपराध करने की तारीख यानी 8.11.1985 को किशोर था। हालाँकि, उक्त प्रश्न को उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है ।

विद्वान वकील के अनुसार यदि एक बार यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 (एच) के अर्थ के भीतर किशोर था या अधिनियम के प्रावधानों से वंचित बालक था, तो वह आईडी संरक्षण का हकदार था और मामले को देखते हुए, उसे धारा 9 या धारा 10 के संदर्भ में विशेष गृह, या अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में अवलोकन गृह और किसी भी स्थिति में आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती थी।

इसके अलावा, यह अकेले किशोर न्यायालय था, जिसे उसके खिलाफ आदेश पारित करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था और इस मामले के मद्देनजर अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का पूरा निर्णय कानून में समाप्त हो जाएगा।

अधिनियम की धारा 5 मे बच्चों के कोर्ट का गठन किया जाना था, लेकिन यह अधिनियम में नहीं है। विवाद है कि इस तरह की अदालत का गठन प्रासंगिक समय पर नहीं किया गया था। किशोर न्याय के प्रावधान (बाल संरक्षक अधिनियम), 2000 झारखंड राज्य में केवल जुलाई 2005 में या उसके करीब में प्रभावी किया गया है। निचली अदालत के समक्ष, अपीलकर्ता ने कोई दलील नहीं दी कि वह नाबालिग है। यह सच है कि इस तरह की दलील पहली बार जमानत के लिए आवेदन दी गई थी लेकिन पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.1986 को पारित आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता एक बच्चा था। पर एकमात्र ऐसा नहीं था जिसे अपीलकर्ता को जमानत देने का आदेश पारित किया गया था। दिनांक 06.05.1986 निम्नानुसार पढ़ता है:

याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान वकील को सुना:

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा कोई सबूत नहीं है और याचिकाकर्ता ने उस स्थान को इंगित किया था जहां से शव बरामद किया गया था।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की आयु 16 वर्ष से कम है।

इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को 8,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पर विस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें भंडारा पी एस केस संख्या 33/85 (जी आर 294/85) में श्री डी डी गुरु, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की दो जमानतें हैं। अपीलकर्ता की जांच सीआरपीसी की धारा 313 के तहत की गई थी, जहां उसकी उम्र 28 वर्ष आंकी गई थी। उक्त अनुमानित आयु निचली अदालत द्वारा 09.04.1999 को फिर से दर्ज की गई थी, जो 28 वर्ष थी। निचली अदालत के फैसले में फिर से उल्लिखित उम्र का उल्लेख किया गया था।

अपीलकर्ता द्वारा कोई दलील दिए जाने के अभाव में, यह विवादित नहीं है, कि अदालत ने किसी भी स्तर पर अपीलकर्ता की उम्र के संबंध में सवाल नहीं किया था।

अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (ठ) में निम्नलिखित शब्दों में आयु की परिकल्पना और अवधारण का उपबंध है:

•'32 आयु की परिकल्पना और अवधारण (i) जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति साक्ष्य देने के प्रयोजन से अन्यथा बालक है, वहां सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की आयु के बारे में सम्यक जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे साक्ष्य को लेगा जो आवश्यक हो सकता है और एक निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या व्यक्ति एक बच्चा है या नहीं, उसकी उम्र लगभग बताई जा सकती है।

हालांकि, संभवतः ऐसी कोई जांच नहीं की गई क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी। उस समय, यह भी अदालत में नहीं हुआ होगा कि अपीलकर्ता एक बच्चा था। अधिनियम की धारा 33 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें उक्त

अधिनियम की धारा 32 के तहत आदेश देने में ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वर्ष 1999 में, स्पष्ट रूप से निचली अदालत ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी आयु का अनुमान लगाने के सवाल पर विचार नहीं किया।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मामले की योग्यता के आधार पर कोई दलील नहीं दी है। तथापि, हमने विद्वान विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन किया है और हमें उसमें कोई कमी नहीं मिली है।

लाभकारी विधान के उपबंधों को सामान्यत प्रभावी किया जाना चाहिए। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि अपीलकर्ता साक्षर है। संभवतः वह किसी स्कूल में पढ़ता था। तथापि, उनकी जन्मतिथि का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उनकी जन्मतिथि के संबंध में कोई अन्य प्रमाण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अदालत के अनुमान के अलावा कोई अन्य सामग्री हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है। अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में, हम एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि अपराध के कमीशन की तारीख के अनुसार अपीलकर्ता उक्त अधिनियम के अर्थ के भीतर एक बच्चा था।

कृष्णा भगवान बनाम बिहार राज्य, (1989) पीएलजेआर 507], एनपी सिंह, जे, (जैसा कि तब उनका आधिपत्य था), पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए, कहा:

" .... धारा 32 किशोर न्यायालय में अपराध के कमीशन की तारीख को अभियुक्त की उम्र के संबंध में उचित जांच करने की शक्ति निहित करती है और उस उद्देश्य के लिए ऐसे न्यायालय को साक्ष्य लेना होता है जो आवश्यक हो सकता है और यह निष्कर्ष दर्ज करना होता है कि क्या विचाराधीन अभियुक्त किशोर था। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय के लिए अपराध करने की तारीख को अभियुक्त की आयु निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि इसे प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य और उसके समर्थन में अन्य सामग्रियों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। यह निरोध केवल इस समिति के समक्ष प्रस्तुत डाक्टरों की लिखित राय पर आधारित नहीं होना चाहिए। अभियोजन पक्ष को ऐसे चिकित्सा या फोरेंसिक विशेषज्ञों से जिरह करने का अधिकार है, जिन्होंने अभियुक्त की उम्र के बारे में अपनी राय दी है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि अपराध किए जाने की तारीख को

अभियुक्त किशोर नहीं था। यह आवश्यक है क्योंकि लगभग सभी मामलों में अपीलीय अदालत के समक्ष याचिका लेने तक संबंधित अभियुक्त समय व्यतीत होने के कारण किशोर नहीं रह चुका होगा, जिससे अपीलीय अदालत के साथ-साथ किशोर न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना अधिक कठिन हो जाता है कि अपराध किए जाने के समय उसकी उम्र क्या थी। मेरे विचार से, ऐसी स्थिति में, किशोर न्यायालय सहित न्यायालयों को गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त की चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच करानी चाहिए और चिकित्सा बोर्ड की राय सहित रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर ऐसे अभियुक्त की आयु निर्धारित करनी चाहिए। एक बार जब विधायिका ने किशोरों को विचारण और दोषसिद्धि के संबंध में विशेष उपचार प्रदान करने के लिए एक कानून अधिनियमित कर दिया है, तो न्यायालय को ऐसे कानून का प्रशासन करते समय ईर्ष्या होनी चाहिए ताकि अपराधी किशोर ऐसे अधिनियम के प्रावधानों का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, लेकिन साथ ही, यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि किशोरों के लिए अभिप्रेत उपबंधों का लाभ बेईमान व्यक्तियों द्वारा प्राप्त न किया जाए, प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर स्वयं को बच्चों या किशोर के रूप में घोषित करवाकर जघन्य और गंभीर अपराध करने के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। मेरे अनुसार, यदि इस न्यायालय में पहली बार यह दलील दी जाती है कि अपराध किए जाने की तारीख को अभियुक्त बच्चा या किशोर था, तो इस न्यायालय को अपील की सुनवाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि किशोर अधिनियम की धारा 26 द्वारा आवश्यक है और ऐसे अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए।"

यदि इस तरह के अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो संबंधित तारीख पर आरोपी के बच्चे होने के संबंध में कोई जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर यह न्यायालय *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि अभियुक्त आयोग की तारीख को संबंधित अधिनियम के अर्थ के भीतर एक बच्चा / किशोर हो सकता है अपराध के मामले में, इसे अधिनियम की धारा 32 के अनुसार बाल न्यायालय/किशोर न्यायालय से निष्कर्ष मांगना चाहिए। यदि इस न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया जाता है, तो किशोर अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में इस न्यायालय को

किशोर न्यायालय को अधिनियम की धारा 21 और 22 के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करना चाहिए।

हम सम्मान के साथ उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं।

उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा *गोपीनाथ घोष बनाम झारखंड राज्य* 293 [1984] पूरक एस सी सी 228.

• • हालाँकि, हम देख सकते हैं कि *रामदेव चौहान उर्फ राजनाथ बनाम असम राज्य*, [2001] 5 एससीसी 714, भारतीय साक्ष्य 1872 के धार 35 के प्रावधान की प्रयोज्यता के संबंध में एक स्कूल रजिस्टर *की तुलना* में यह कहा गया था: ..

•. "यह विवादित नहीं है कि छात्रों के प्रवेश के पंजीकरण पर भरोसा किया गया था। रक्षा द्वारा किसी भी वैधानिक आवश्यकता के तहत बनाए नहीं रखा जाता है। पंजीकरण के लेखक की भी जांच नहीं की गई है। पंजीकरण बिल्कुल भी पृष्ठांकित नहीं है। पंजीकरण का कॉलम 12 'दाखिले के समय उम्र' से संबंधित है. प्रविष्टियाँ 1 से 45 में छात्रों की आयु का उल्लेख वर्षों और दिनों में है। प्रविष्टि 1 दिनांक 25-1-1988 है जबकि प्रविष्टि 45 दिनांक 31-3-1989 है। इसके बाद प्रविष्टि 45 को छोड़कर, पृष्ठ पूरी तरह से खाली है और 5-1-1990 से नई प्रविष्टियां की जाती हैं, जाहिरा तौर पर एक व्यक्ति द्वारा सभी प्रविष्टियां 5-01-1990 दिनांकित हैं। अन्य प्रविष्टियाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न तिथियां एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई हैं, हालांकि वर्ष 1990 के लिए प्रविष्टियां एंट्री '64 तक हैं जहां 1991 की प्रविष्टियाँ फिर से उसी व्यक्ति द्वारा जाहिरा तौर पर की जाती हैं। प्रविष्टि 36 फिराटो चौहान के बेटे राजनाथ चौहान से संबंधित है। प्रविष्टि 32 को छोड़कर सभी क्षेत्रों में, 5-1-1990 के बाद कॉलम 12 में आयु के स्थान पर कुछ तारीख का उल्लेख किया गया है, जो बचाव के अनुसार संबंधित छात्र की जन्म तिथि है। प्रविष्टि 32 में संबंधित छात्र की आयु दर्ज की गई है। कॉलम 12 में फिर से 9-1-1992 से प्रविष्टियों में, छात्रों की आयु का उल्लेख किया गया है, न कि उनकी जन्म तिथि। जिस तरह से पंजीकरण को बनाए रखा गया है, वह न्यायालय के विश्वास को इस पर कोई भरोसा करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। बचाव पक्ष के विद्वान वकील ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए कानून के किसी प्रावधान का भी उल्लेख नहीं किया

है। इस तरह के पंजीकरण में की गई प्रविष्टियों को किसी भी उद्देश्य के लिए आरोपी की उम्र के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

हालांकि, हम *भोला भगत बनाम बिहार राज्य*, [1997] 8 एससीसी 720 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से अनजान नहीं हैं।, जिसमें अदालत पर एक दायित्व डाला गया है कि जहां सामाजिक रूप से उन्मुख कानून की लाभकारी प्रकृति के संबंध में ऐसी दलील उठाई जाती है, तो उसकी बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। हालांकि, हमारी राय है कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के लाभ का हकदार नहीं है, उसके साथ उदारता से केवल इसलिए निपटा जाएगा क्योंकि ऐसी दलील दी गई है। प्रत्येक याचिका को अपने स्वयं के योग्यता पर आंका जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाना है। पंजीकरण पर लाई गई सामग्रियों में से उपर्युक्त निर्णयों पर इस न्यायालय द्वारा *जकारियस लकरा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*, [2005] 3 एससीसी 161,के मामले में ध्यान दिया गया है। जिसमें इस न्यायालय की एक पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि हालांकि *रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा* [2002] 4 एस. सी. सी388 में इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में यह बनाए रखने योग्य नहीं था। समीक्षा याचिका को एक क्यूरेटिव याचिका में बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। [यह सभी देखें *राज सिंह बनाम हरियाणा राज्य*, [2000] 6 एससीसी 759]।

इसलिए, हमारी राय है कि अपराध करने की तारीख को अपीलकर्ता की उम्र का निर्धारण विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा नए सिरे से किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त कारणों के लिए, इस अपील की अनुमति दी जाती है और मामले को विद्वान सत्र न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ भेज दिया जाता है कि वह अपराध करने की तारीख को अपीलकर्ता की उम्र के संबंध में मामले पर विचार करे और यदि वह अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के अर्थ के भीतर एक बच्चा और/या किशोर पाया जाता है, तो

तदनुसार अभियुक्तों से निपटने के लिए। यदि वह अपराध किए जाने की तारीख को बच्चा नहीं पाया जाता है, तो वर्तमान दोषसिद्धि बरकरार रहेगी।

आर.पी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।